आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल भोपाल

क्रमांक / सी.ई.ओ. / ए.बी. / 2019 / 09 **भोपाल, दिनांक 10 / 01 / 2019**

:: परिपत्र ::

विषयः–चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अधीन संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के इम्पेनलमेन्ट के संबंध में।

आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के अधीन संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को एन.ए.बी.एच. अधिमान्यता प्रमाण पत्र के आधार पर इम्पेनलमेन्ट किया जाता रहा है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अधीन संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना में इम्पेनलमेन्ट हेतु परिपत्र जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित मापदण्ड रहेगें:–

- एन.ए.बी.एच. अधिमान्यता प्रमाण पत्र।

  अथवा

- चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी Desirability and Feasibility Certificate के आधार पर भी चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को इम्पेनलमेन्ट किया जा सकेगा परन्तु निजी चिकित्सा महाविद्यालय को एन.ए.बी.एच. प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की समयावधि प्रदान की जाती है।

राज्य एम्पेनलमेन्ट समिति के निर्णय अनुसार संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को आयुष्मान भारत में इम्पेनल्ड करने हेतु ऑन लाईन आवेदन करना होगा ।

यह भी निर्णय लिया गया है:–

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में विषय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जावेगी।
2. उक्त टीम चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले नॉन एन.ए.बी.एच निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी।
3. जिन विषय विशेषज्ञताओं के लिये निजी चिकित्सा महाविद्यालय अधिकृत है उन सभी के लियें आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अंतर्गत हितग्राहियों के लियें इलाज उपलब्ध कराना होगा, विषय विशेषज्ञताओं के लिये अधोसंरचना (Infrastructure) एवं मानव संशाधन (HR) की उपलब्धता हो, यह भी सुनिश्चित हो। (चेक लिस्ट संलग्न)
4. उपरोक्त बिन्दुओं पर समावेश करने उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा अपने अभिमत एवं अनुशंसा सहित एंपेनलमेन्ट हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत "निरामयम" को प्रस्ताव प्रेषित करेगें।
5. तदोपरान्त प्रस्ताव को राज्य एंपेनलमेन्ट समिति के समक्ष अनुमोदन एवं निर्णयार्थ हेतु रखा जावेगा।

राज्य इम्पेनलमेन्ट समिति के अनुमोदन उपरांत परिषद् एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय के मध्य अनुबंध पत्र (एम.ओ.यू.) का निष्पादन निर्धारित समय सीमा में करना होगा।

(रूही खान) 10/1/19

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
आयुष्मान भारत " निरामयम" म.प्र.

क्रमांक / सी.ई.ओ. / ए.बी. / 2019 / 10 **भोपाल, दिनांक 10 / 01 / 2019**

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव,मध्य प्रदेश शासन,चिकित्सा शिक्षा विभाग,मप्र.
2. अपर मुख्य सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मप्र.
3. स्वास्थ्य आयुक्त,संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र.
4. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग,म.प्र.
5. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ,म.प्र.
6. संचालक चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.

10/1/19

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
आयुष्मान भारत " निरामयम" म.प्र.